Setting up an Assembly in Delhi

*27. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have accepted in principle to set up an Assembly in Delhi;

(b) whether it is also a fact that Government have decided to remove multiplicity of authorities and to provide an integrated authority for Delhi;

(c) whether Government propose to give the powers of budget, finance and services to the proposed Assembly;

(d) what are the other powers—legislative and executive which Government propose to give to the proposed Assembly; and

(e) when the Bill is going to be introduced for setting up the proposed Assembly in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) (a) to (e). The future set up of Delhi is under the active consideration of the Government of India.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में असेम्बली हो, यह केवल जनता पार्टी की ही मांग नहीं है, बल्कि सारे राजनीतिक दल एक आवाज से इस चीज को चाहते हैं। इस के साथ साथ मैट्रोपोलिटन कौंसिल ने भी एक आवाज से, यूनैनिमस्ली, प्रस्ताव पास किया है कि दिल्ली में असेम्बली होनी चाहिए : इस के अतिरिक्त स्वयं गृह मंत्री जी ने भी चीफ एक्जीक्यूटिव कांसिलर और दिल्ली के मेम्बर्स पार्लियामेण्ट को यह विश्वास दिलाया है कि यहां पर ढांचा बदला जायगा और असेम्बलीं बनाई जायगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्या यह सही है कि गोआ असैम्बली जैसा ढांचा आप यहां पर देने जा रहे हैं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य तथा दिल्ली के अन्य माननीय सदस्यों को मालूम है कि बातचीत चल रही है, उन के साथ भी बातचीत होती रहती है। इन सब मामलों पर विचार हो रहा है, लेकिन इस ने अभी कोई शेप नहीं लिया है, जो वर्तमान स्थिति है, उस में इस ढांचे को बदल कर नया ढांचा लाने की बात है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हमेशा इस मामले में अण्डर-एक्सपैरिमण्ट रहा है, पहले यहां पर असेम्बली बनी, उस के बाद कारपोरेशन आई, अब मंत्री महोदय कहते हैं कि ढांचा कुछ बदला जायेगा, क्योंकि अभी तक यहां पर जो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन है, वह ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, इस लिए इन-इफेक्टिव है और लोगों की भावनाओं को पूरे तौर से पूरा नहीं करता है। यहां पर मल्टीप्लिसिटी आफ़ अथारिटी बहुत ज्यादा है। चीफ़ एक्जीक्यूटिव कांसिलर को एक चपरासी को भी ट्रांस्फर करने का अधिकार या एक पैसा खर्च करने का भी अधिकार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—(1) क्या इस ढांचे को जो आज है, उस को बदलेंगे ? (2) क्या जो ढांचा आप लायगे उस में सर्विसिज, फाइनेन्शल पावर्स, मल्टीप्लिसिटी आफ़ अथारिटीज को खत्म करने का प्रावधान होगा या नहीं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : इस बात को ध्यान में रखा जाएगा

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली को नया ढांचा दिया जाएगा। क्या उसके बारे में बिल इस सेशन में पेश किया जाएगा या नहीं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : जब बिल तैयार हो जाएगा तब वहां लाया जाएगा मैंने यह नहीं कहा है कि इस सेशन में बिल लाया जाएगा ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: On a point of order. The Home Minister has given a list of the Bills to your office in which this Bill is included. Here he says, that is under consideration.

MR. SPEAKER: After your question, Mr. Vijay Kumar Malhotra has put a question. You are now raising something else. There is no point of order.

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय जब दिल्ली में स्टेट असेम्बली बनाने के लिए एक्टिव कंसीडेशन चल रहा है, जैसा कि सरकार ने जवाब दिया है, तो क्या दूसरी यूनियन टेरीटरीज, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और दूसरी टेरीटरीज, के बारे में सोचा जाएगा कि उन्हें ज्यादा मदद दी जाए ? वे जब पैसा मांगती हैं तो कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है । क्या इन को भी और मदद देने के लिए विचार किया जाएगा ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: How does it arise here?

श्री सोमजी भाई डामोर : क्या उन्हें ज्यादा मदद देंगे, ऐसा ही मैंने पूछा है ?

MR. SPEAKER: We are now concerned only with Delhi. This Question is about Delhi only.

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो एक्टिव कंसीडेशन चल रहा है, यह कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा ?

श्री धनिक लाल मण्डल : यह जल्दी समाप्त हो जाएगा । यह जो आशंका है कि यह बहुत लम्बा चलने वाला है, ऐसी बात नहीं है ।

SHRI P. M. SAYEED: In view of the Government's stand that Delhi is going to have its own Assembly, may I know from the Government whether this is the pattern of the Janata Party Government to give a democratic set up in other places also, like, in Lakshadweep Islands?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: That is a separate question. This does not arise here.

श्री गौरी शंकर राय : संविधान के समय दिल्ली को असेम्बली का रुतबा इसलिए नहीं दिया गया था कि सारी दुनियां में जहां भी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, वहां केपिटल को सेण्ट्रल्ली एडमिनिस्टर्ड रखा जाता है क्योंकि कोई कंट्राडिक्शन न आने पाये । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप दिल्ली में स्टेट असेम्बली बना रहे हैं तो ला एण्ड आर्डर आपके हाथ में होने से जो तमाम कन्फ्रण्टेशन पैदा होंगे उनको अवाइड करने के लिए आपके पास क्या इलाज है । कभी भी सैण्टर में किसी एक पार्टी की हकूमत हो सकती है और दिल्ली में दूसरी पार्टी की हकूमत हो सकती है, उस समय जो इन्हेरेण्ट प्राब्लम्ब आयगी उनके लिए आपने क्या इलाज सोच रखा है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य ने कठिनाइयां बताई हैं । वही तो समस्याय हैं और उन सब पर विचार हो रहा है ।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश : आपको मालूम होगा कि दुनिया में ऐसी दो ही जगह हैं जहां फैड्रल स्ट्रक्चर होते हुए भी असैम्बली नहीं हैं, एक आस्ट्रेलिया में और एक अमरीका में । बाकी और कोई जगह दुनिया में ऐसी नहीं हैं जहां फैड्रल स्ट्रक्चर है और उनकी अपनी असैम्बली नहीं हैं ।

मंत्री जी को यह भी मालूम है कि अब तक जितने ढांचे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए हैं कानूनी तौर पर ऐसा कोई ढांचा नहीं था जो स्टेट असैम्बली का हो और जिस में उसको पूरे अखत्यारात दिए गए हों। आपने कहा है कि बिल अण्डर कंसिडरेशन है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली को पूरी स्टेट असेम्बली का ढांचा देने का और पूरे अखत्यारात देने का भी आप उस में समावेश करेंगे ?

श्री धनिक लाल मण्डल : पूरा स्टेट का दर्जा देना सम्भव नहीं होगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

News Item Captioned 'Nepotism in A.I.R.'

*23. SHRI RAJ KESHAR SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards an article entitled 'Nepotism in AIR' (*Sunday Weekly* of 29th January, 1978) highlighting glaring instances of nepotism in the matter of appointments and anomalies and conflict of categories responsible for hampering AIR functions; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and steps contemplated to avoid recurrence of such corrupt practices in future and set aside such appointments made in the past?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The irregular appointments made in the Akashvani and Doordarshan during the Emergency were also looked into by the Dass Committee and corrective action was taken wherever necessary. Government is determined to root out nepotism in all its facets from Akashvani and Doordarshan. In all recruitments, outside assessors are being associated. Regarding the structure and organisation of these media, Government is awaiting the Report of the Working Group on Autonomy for Akashvani and Doordarshan.

Minorities Commission

*25. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:
SHRI S. D. SOMASUNDARAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have appointed the Minorities Commission to look after the grievances of minority communities;

(b) if so, its composition and terms of reference; and

(c) the details regarding the minority communities that are going to be covered under this Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). The Government resolution setting up the Minorities Commission and giving its composition and terms of reference was notified on January 12, 1978. The scope of work of the Commission covers all minorities, whether based on religion or language; the details regarding the specific communities and groups that would be covered would be worked out by the Commission itself.